संख्या 01 /VI-I/2006-2(15)2006

प्रेषक,

एस0एस0बल्दिया,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग:

देहरादून दिनांक 26 मार्च 2007

विषय: ट्राइबल सब प्लान के अर्न्तगत जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के लाखामण्डल में मिनी स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 844/सात -1450/ 2005-2006,दिनांक 02 अक्टूबर 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता के अर्न्तगत लाखामण्डल में मिनी स्टेडियम के निमार्ण हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा उत्तराखण्ड देहरादून ईकाई द्वारा उपलब्ध कराये गये रू0 45.22 लाख के आगणन के सापेक्ष तकनिकी परीक्षण प्रकोष्ठ द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि रू0 41.00 लाख (रू0 इकतालीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख मात्र)की धनराशि व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. आगंणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत /अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणंन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म हैं, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आंगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्वेत्ताओं से अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय। निर्माण कार्य के न्यूनतम तीन चरणों यथा निर्माण के पूर्व का रिक्त स्थल, निर्माण के मध्य का व पूर्ण निर्मित योजना के चित्र भी यथा समय उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उलब्ध कराये जायेगें।

8. आंगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई हैं, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

9. जी0पी0डब्लु फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा। धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व निर्माण इकाई द्वारा कार्य को पूर्ण करने की चरणबद्ध समय सारणी प्रस्तुत की जायेगी जिसके समयबद्ध अनुपालन पर ही द्वितीय किश्त स्वीकृत की जायेगी।

10. निर्माण सामग्री प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाये तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाये।

11. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती हैं कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। मितव्ययता नितान्त आवश्यक हैं। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

12. निर्माण हेतु भूकम्प रोधक प्राविधानों का कड़ाई से पालन किया जाये।

13. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि भूमि की उपलब्धता हैं अथवा नहीं, /धनराशि का आहरण भूमि की उपलब्धता पर ही किया जायेगा।

14. सामग्री क्रय में स्टोर पर्चेच नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

15. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायें कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

16. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों नियमों के अनुसार ही व्यय किया जायें। जहां आवश्यक हो, वहां सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जायें। वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाय।

17. जहां आवश्यक हो, धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन योजना पर एवं वित्तीय व्यय की प्रस्ताव पर प्राप्त कर लिया जायेगा। जहां निर्माण कार्य किये जाने हो वहां आगणनों पर शासन का अनुमोदन नियामनुसार प्राप्त किया जायेगा। सामग्री एवं उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड डी0 की दरों पर किया जायेगा और यह दरें न होने की स्थिति में टेण्डर (कोटेशन)विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

18. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या 2047/XVI–219(2000)दिनांक 30 मई 2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

19. उक्त कार्य की Third Party से गुणवत्ता / प्रगति की जांच हेतु व्यवस्था की जायेगी तथा एस पर होने वाला व्यय सैंट्रेज चार्जेज के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

20. इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2006–2007 के अनुदान संख्या –31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक –2204– खेलकूद तथा युवा सेवाय 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01–प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण–42–अन्य व्यय के आयोजनागत पक्ष के मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

21. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 पत्र संख्या –1401 / वित्त XXXVII–(3)/2006 दिनांक 24 मार्च 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्या:– 01 /VI-I/2006–2(15)2006 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून।
3– निजी सचिव,मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
5– जिलाधिकारी, देहरादून
6 वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7 वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड शासन।
8– एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

260307011

260307013 PDF